न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं0 : 319 सन 2021

अनवान :–

1. विनोद पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रजीत पुत्र साजन कुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. शंकर पुत्र बिसाउ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. मदन पुत्र शंकर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. भरतलाल पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. प्रेमसुख पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. रामलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. इन्द्राज पुत्र शंकर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. साजन पुत्र शंकर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. कोमल पुत्री शंकर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
9. रेखा पुत्री शंकर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10. सुनीता पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
11. कविता पुत्री साजन जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :–

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 48/101 की कुल 9.6140 हैक में से 887/4807 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,6 ,7 के नाम एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2146/4807 हिस्सा व खाता संख्या 91/91 की कुल 2.2770हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा खाता संख्या 52/95 की कुल 0.759हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा तथा खाता संख्या 51 की कुल 0.2530हैक प्रतिवादी संख्या 2 ,6 ,7 के नाम बहिब दर्ज है एवं रोही मोजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 138/140 की कुल 0.2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व खाता संख्या 199/87 की कुल 0.8220हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ,6 ,7 बहिब वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बिसाउराम वल्द खेताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बिसाउराम वल्द खेताराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बिसाउराम वल्द खेताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का दादा जो काफी वृद्व हो चुका है व प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 वादी की बहने /बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री /पौत्री है प्रतिवादी संख्या 1 , 8 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसका काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 48/101 की कुल 9.6140 हैक्‍ में से 887/4807 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,6 ,7 के नाम एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2146/4807 हिस्सा व खाता संख्या 91/91 की कुल 2.2770हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा खाता संख्या 52/95 की कुल 0.759हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा तथा खाता संख्या 51 की कुल 0.2530हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 2 ,6 ,7 के नाम बहिब दर्ज है एवं रोही मोजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 138/140 की कुल 0.2530हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व खाता संख्या 199/87 की कुल 0.8220हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ,6 ,7 बहिब वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि बिसाउराम वल्द खेताराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बिसाउराम वल्द खेताराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा बिसाउराम वल्द खेताराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर प0 नं0 315/383 (79) के किला नं. 2/3 की 0.120 है0, 3/2 की 0.247 है0 प0 नं0 317/379 (40) किला नं. 18/1 की 0.085 है, प0 नं. 317/381 (55) के किला नं. 3 की 0.253 है0, 4 की 0.253 है0, 5/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.215 है0, 22 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है0, 25/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.215 है0, प0 नं. 317/382 (76) के किला नं. 2/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता 2/2 की 0.228 है0, 3/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/2 की 0.228 है0, 4/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/2 की 0.227 है0, 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.038 है0, 5/3 की 0.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बिसाउराम वल्द खेताराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 48/101 की कुल 9.6140 हैक् में से 887/4807 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,6 ,7 के नाम एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2146/4807 हिस्सा व खाता संख्या 91/91 की कुल 2.2770हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा खाता संख्या 52/95 की कुल 0.759हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा तथा खाता संख्या 51 की कुल 0.2530हैक् प्रतिवादी संख्या 2 ,6 ,7 के नाम बहिब दर्ज है एवं रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 138/140 की कुल 0.2530हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व खाता संख्या 199/87 की कुल 0.8220हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ,6 ,7 बहिब वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बिसाउराम वल्द खेताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बिसाउराम वल्द खेताराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बिसाउराम वल्द खेताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का दादा जो काफी वृद्व हो चुका है व प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 वादी की बहने /बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री /पौत्री है प्रतिवादी संख्या 1 , 8 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसका काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.215 है0, 7 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है0, 15/1 की 0.038 है0 रास्ता, 15/2 की 0.215 है0, 16/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.215 है0, 17 ता 20 प्रत्येक की 0. 253 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर 315/382 (74) किला नं. 23 व 24 प्रत्येक की 0.253 है0, 25/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.228 है0, प0 नं0 315/383 (79) के किला नं. 1/1 की 0.013 है0, 2/1 की 0.013 है0, 3/1 की 0.006 है0 प0 नं0 317/379 (40) के किला नं. 18/3 की 0.084 है0, 317/382 (76) किला नं. 6–1/2 की 0.008 है0, 6–2/2 की 0.043 है0, 7/2 की 0.051 है0, 8/2 की 0.051 है0, 9/2 की 0.051 है0, 12 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है0, 15/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 15/2 की 0.215 है0, 16/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.215 है0, 17 ता 19 प्रत्येक की 0.253 है0, 22 ता 24 की प्रत्येक की 0. 253 है0 25/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.215 है0 व 13 केएनएन तहसील नोहर के प0 नं0 318/382 (41) किला नं. 21 की की 0.253 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/08/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. विनोद पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
2 इन्द्रजीत पुत्र साजन कुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. शंकर पुत्र बिसाउ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3 मदन पुत्र शंकर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4 भरतलाल पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5 प्रेमसुख पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6 रामलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7 इन्द्राज पुत्र शंकर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8 साजन पुत्र शंकर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
9 कोमल पुत्री शंकर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10 रेखा पुत्री शंकर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
11 सुनीता पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
12 कविता पुत्री साजन जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 319 सन 2021 निर्णय दिनांक– 11/08/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर प0 नं0 315/383 (79) के किला नं. 2/3 की 0.120 है0, 3/2 की 0.247 है0 प0 नं0 317/379 (40) किला नं. 18/1 की 0.085 है, प0 नं. 317/381 (55) के किला नं. 3 की 0.253 है0, 4 की 0.253 है0, 5/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.215 है0, 22 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है0, 25/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.215 है0, प0 नं. 317/382 (76) के किला नं. 2/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता 2/2 की 0.228 है0, 3/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/2 की 0.228 है0, 4/1 की 0. 026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/2 की 0.227 है0, 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.038 है0, 5/3 की 0.190 है0, 6–1/1 की 0.030 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6–2/1 की 0.172 है0, 7/1 की 0.202 है0, 8/1 की 202 है0, 9/1 की 202 है0 तथा रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के प0 नं0 318/381 (40) के किला नं. 21 ता 23 प्रत्येक की 0. 253 है0, 24/1 की 0.063 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के 315/383 (79) के किला नं. 1/2 की 0.240 है0, 2/2 की 0. 120 है0 प0 नं0 317/379 (40) के किला नं. 18/2 की 0.84 है0, प0 नं0 317/381 (55) किला नं. 1 की 0.253 है0, 2 की 0.253 है0, 6/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

190 है0, 6–1/1 की 0.030 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6–2/1 की 0.172 है0, 7/1 की 0.202 है0, 8/1 की 202 है0, 9/1 की 202 है0 तथा रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के प0 नं0 318/381 (40) के किला नं. 21 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है0, 24/1 की 0.063 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के 315/383 (79) के किला नं. 1/2 की 0.240 है0, 2/2 की 0.120 है0 प0 नं0 317/379 (40) के किला नं. 18/2 की 0.84 है0, प0 नं0 317/381 (55) किला नं. 1 की 0.253 है0, 2 की 0.253 है0, 6/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.215 है0, 7 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है0, 15/1 की 0.038 है0 रास्ता, 15/2 की 0.215 है0, 16/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.215 है0, 17 ता 20 प्रत्येक की 0.253 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर 315/382 (74) किला नं. 23 व 24 प्रत्येक की 0.253 है0, 25/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.228 है0, प0 नं0 315/383 (79) के किला नं. 1/1 की 0.013 है0, 2/1 की 0.013 है0, 3/1 की 0. 006 है0 प0 नं0 317/379 (40) के किला नं. 18/3 की 0.084 है0, 317/382 (76) किला नं. 6–1/2 की 0.008 है0, 6–2/2 की 0.043 है0, 7/2 की 0.051 है0, 8/2 की 0.051 है0, 9/2 की 0.051 है0, 12 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है0, 15/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 15/2 की 0.215 है0, 16/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.215 है0, 17 ता 19 प्रत्येक की 0.253 है0, 22 ता 24 की प्रत्येक की 0.253 है0 25/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.215 है0 व 13 केएनएन तहसील नोहर के प0 नं0 318/382 (41) किला नं. 21 की की 0.253 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते